न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ ( )वाचक / Case No. 05/2020/ 29-30 दिनांक 10 जनवरी, 2020

आदेश

थानाधिकारी, पुलिस थाना मोटागॉव द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2020 दिनांक 10.01.2020 अन्तर्गत धारा 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गौ–वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 के तहत दर्ज कर बताया कि दिनांक 10–01–2020 को 07.15 एएम पर सावला तरफ से दो पिकअप व एक टाटा एएस मॉडल की पिकअप तेज गती से आती हुई नजर आई जिनको मुझ एसएचओ मय जाप्ता ने सत्तु की पादर में रोक देखा तो पिकअप नम्बर आर.जे.26 जी.ए.2489 में कुल चार बैल जिनमें एक चितकबरा पुंछ सफैद ,छोटे सींग व कपाल व दोनो पैरो पर सफैद निशान , दुसरा बैल बरंग सफैद सींग मुडे हुवे व लाल हरा कलर किया हुवा बैल के पुठठे पर बायी तरफ चोट के निशान पुछ काली सफैद, तिसरा बैल बरंग भुरा दोनो सींग मुडे होकर लाल हरा रंग किया हुआ पीठ व पुछ पर चोट के निशान , चौथा बैल बरंग काला बाया सींग ताजा टुटा हुआ खुन निकते हुवे पीछे के बाये पैर एवं पुछ पर चोट के ताजा निशान जिसमें चालक अकेला बैठा होकर नाम पता पुछा तो श्री शम्भुलाल पिता गणेश जाति बरगोट मिणा निवासी चारगदीया गायरीयावास थाना भीण्डर जिला उदयपुर का होना बताया इसी प्रकार दुसरी पिकअप नम्बर आर.जे.09 जी.बी.5489 होकर डाले में देखने पर कुल तीन बैल भरे होकर एक बैल बरंग काला पुठठे पर चोट का निशान ,दुसरा बैल बरंग काला एंव तिसरा बैल बरंग सफैद होकर पिकअप में दो व्यक्ति बैठे होकर चालक का नाम पता पुछने पर श्री मुरताक खान पिता चान्दखान जाति मिरासी जाटो का भाट उम्र 28 वर्ष निवासी केदारीया ग्राम.प.बासडा थाना खैरोदा जिला उदयपुर एंव पास बैठे व्यक्ति ने श्री लाला पिता कारीराम जाति गडलिया लुहार उम्र 35 वर्ष निवासी वाराडा थाना खेरोदा जिला उदयपुर का होना बताया तिसरी टाटा एस नम्बर आर.जे.27 सी.बी.3739 होकर देखने पर डाले मे कुल तीन बैल भरे होकर एक बैल बरंग काला सीधे तीखे सींग पुठठे पर चोंट के निशान दुसरा बरंग काला पुठठे व घुटने पर चोट के निशान हो छोटे सींग तिसरा बरंग भुरा लम्बे सींग पुठठे व पैरो पर चोंट के निशान होकर अन्दर दो व्यक्ति बैठे होकर नाम पता पुछा तो चालक ने अपना नाम श्री केवीलाल पिता प्रेमजी जाति डांगी पटेल उम्र 34 वर्ष निवासी ईसरवास थाना सलुम्बर जिला उदयपुर व पास बैठे व्यक्ति ने पिन्टु पिता गोपीलाल जाति गाडलिया लुहार उम्र 23 वर्ष निवासी नागेलामोड ग्रा.पं. गाडरीयावास धरियावाद थाना धरियावाद जिला प्रतापगढ हाल दुदर रोड सलुम्बर के होने बताए। उक्त चालको से बैलो का परिवहन करने संबधी दस्तावेजो के बारे मे पुछने पर कोई वेध दस्तावेज व वाहनो के दस्तावेज नही होना बताया व बैल भीण्डर एवं सलुम्बर के आस पास से भरना व गुजरात बैचने के लिए ले जाना बताया है इस प्रकार उक्त मुल्जिमानो ने छोटी पिकअपो मे बिना चारा पानी रस्सी एंव रेती बुरादा डाले बिना कम जगह मे ठुसा ठुस कर बेरहमी एवं क्रुरतापुर्वक भरकर गुजरात में तस्करी कर वध के लिए बीना दस्तावेज ले जाना अपराध धारा 3,5,6,8,9,10 गौवंश पशु अधिनियम 1995 व 11घ प शुओ के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 का पाया जाने से उक्त गौवंश एवं पिकअप जरीयें फर्द जप्ती रूबरू मौतबीरान जप्त किये । उक्त जब्तशुदा 10 बैल को वाल्मिकी गौशाला टामटिया तहसील गनौडा (रजि.नं. 11/2013) को सुपुर्द करने के आदेश जारी करने निवेदन किया।

अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जप्तशुदा 10 बैल गौवंश को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, वाल्मिकी गौशाला, टामटिया तहसील गनौडा (रजि.नं. 11/2013) को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जप्त शुदा कुल 10 बैल गौवंश की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, वाल्मिकी गौशाला, टामटिया तहसील गनौडा (रजि.नं. 11/2013) की होगी। जब्तशुदा गोवंश की वीडियोग्राफी भी सुपुर्दगी के समय करवायी जावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, वाल्मिकी गौशाला, टामटिया तहसील गनौडा (रजि.नं. 11/2013) बाध्य होगा।

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
बांसवाडा

प्रतिलिपि :- थानाधिकारी, पुलिस थाना मोटागॉव/ प्रबन्धक, वाल्मिकी गौशाला, टामटिया तहसील गनौडा।

10/1/2020
जिला कलक्टर
बांसवाडा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.01.21 12:50:48 IST
Reason: SelfAttested